न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 68 / 2024
जीसीएमएस नं. 2024 / 66

दायर दिनांक 05.06.2024
निर्णय दिनांक 01.10.2025

उनवान

1. राजकुमार पिता शंकरलाल जोगी, निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर
2. सोमेश्वर पिता शंकरलाल जोगी, निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर
3. हिरालाल पिता शंकरलाल जोगी, निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर
4. भीमनाथ पिता लालु जोगी , निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. दिनेश पिता छगनलाल कलाल निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर
2. चन्द्रिका पत्नि दिनेश कलाल निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर
3. रमेश पिता छागनलाल कलाल निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर
4. ललिता पत्नि रमेश कलाल निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर
5. भूमिधारी, तहसीलदार झौथरीपाल, जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – **1.श्री नरेश जोशी – अधिवक्ता अपीलाण्ट**
2. श्री मनीष पटेल – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से

–:निर्णयः– **दिनांक – 01.10.2025**

1 अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी नम्बर 2684 मौजा

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

भीण्डा वर्तमान तहसील झौंथरीपाल में स्थित है। वादग्रस्त आराजी वर्ष 2010 में प्रशासन गांवो के संग अभियान उपखंड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 2010/1461–63 दिनांक 31.12.2010 के जरिए विपक्षी सं. 1 लगायत 4 को 5 बिस्वा भूमि आवंटन की गई ।

आवंटन पश्चात भूमि का नया नम्बर 3783/2684 दर्ज किया गया । आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। मौके पर आज तक कब्जा सुपुदर्गी नही की गयी है। मौके पर कब्जा प्रार्थीगण व उनके परिवार का चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि के आसपास प्रार्थीगण व उनके परिवार की ही भूमि स्थित रही है। विपक्षीगण कृषक परिवार के नही है। आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थीगण और उनके परिवार द्वारा काश्त की जाती आ रही है। आवंटन विधि विरूद्ध किया गया है, आवंटी द्वारा कपट के आधार पर या दुर्व्यपदेशन के आधार पर भूमि का आवंटन कराया गया है। ऐसी परिस्थिति मे आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है।

आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमों की पूर्ण पालना नही कि गई है तथा आवंटन से पूर्व मौके पर जाकर मौके निरीक्षण नही किया गया है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 5 से 11 की पालना नही हुई है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 से 4 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष पटेल द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी मौजा भीण्डा के खसरा नम्बर 2684 जो विपक्षीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर विपक्षी संख्या 1 से 4 काफी वर्षो से कब्जेयाब होकर उसका उपयोग उपभोग कर रह रहे है। विपक्षीगण को आवंटन नियमानुसार किया गया है, तथा आवंटन हुए 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लंबी समयावधि के आवंटन को किसी भी तरीके से निरस्त नही किया जाना जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण को समस्त जानकारी होने के बावजूद भी जानबुझकर तथ्य छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जो कि न्यायहित में खारिज फरमाया जावे। आवंटन काफी वर्षो से उनके द्वारा उपयोग उपभोग किए जाने एवं उक्त आराजी नंबर पर कब्जेयाब होने एवं नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने झूठा प्रार्थना पत्र मनगढंत आधारो पर प्रस्तुत किया है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

वादग्रस्त आराजी नंबर 3783 / 2684 पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही चला आ रहा है। विपक्षीगण स्वंय एवं उनके पिता अपने पैतृक काल से उक्त खसरा नंबर पर वर्षो से काबिज होकर खेती करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर उक्त झूठा प्रार्थना पत्र आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है तो विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाने योग्य है।

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी समय समय पर सिद्धांत प्रतिपादित किये है कि लंबे समय का आवंटन यदि है और उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है तो ऐसी स्थिति में आवंटन खारिज नही किया जाना चाहिए। विपक्षीगण का आवंटन विधिअनुसार संपूर्ण जांच पडताल के उपरांत ही उक्त भूमि विपक्षीगण को आवंटित हुई है। विपक्षीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसाधारण को सूचित कर मजमे आम के मध्य हुए आवंटन समय से है परंतु प्रार्थीगण का कोई व कब्जा नही होने से उक्त आवंटन के समय उनके द्वारा कोई एतराज आपत्ति दर्ज नही करवाई गई थी। प्रार्थीगण ने एक सुनियोजित तरीके से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त फरमावें। उक्त आवंटन के पश्चात उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है तथा वर्तमान में भी विपक्षीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2684 मौजा भीण्डा वर्ष 2010 में प्रशासन गांवो के संग अभियान उपखंड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 2010 / 1461–63 दिनांक 01.12.20210 के जरिए विपक्षी सं. एक से 4 को 5 बिस्वा भूमि आवंटन की गई । आवंटन पश्चात भूमि का नम्बर 3783 / 2684 दर्ज किया गया । आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी पर मौके लगभग 35 वर्ष से प्रार्थीगण का कब्जा है। तथा उपरोक्त भूमि के आसपास प्रार्थीगण व उनके परिवार की ही भूमि स्थित रही है। विपक्षीगण कृषक परिवार नही है । आवंटी द्वारा कपट के आधार पर या दुर्व्यपदेशन के आधार पर भूमि का आवंटन कराया गया है, ऐसी परिस्थिति मे उसका आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमों की पूर्ण पालना नही कि है। आवंटी द्वारा आवंटन से अब तक मौके पर कब्जा काश्त नही किया गया है, बल्कि कब्जा काश्त प्रार्थीगण का बना हुआ है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 5 से 11 की पालना नही हुई है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 से 4 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा भीण्डा के खसरा नम्बर 2684 जो विपक्षीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर विपक्षी संख्या 1 से 4 काफी वर्षो से कब्जेयाब होकर उसका उपयोग कर रह रहे है। विपक्षीगण को आवंटन नियमानुसार किया गया है, तथा आवंटन हुए 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है। प्रार्थीगण को समस्त जानकारी होने के बावजूद भी जानबुझकर तथ्य छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। वादग्रस्त आराजी नंबर 3783 / 2684 पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही चला आ रहा है। विपक्षीगण स्वंय एवं उनके पिता अपने पैतृक काल से उक्त खसरा नंबर पर वर्षो से काबिज होकर खेती करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर ब्लेकमेल करने की नियत से उक्त झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटन से पूर्व भी वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा था तथा संपूर्ण विभागीय जांच पडताल पश्चात् ही पूर्ण पारदर्शिता के साथ सर्वसाधारण को सूचित कर उक्त आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। उक्त आवंटन के पश्चात विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी समय समय पर सिद्धांत प्रतिपादित किये है कि लंबे समय का आवंटन यदि है और उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है तो ऐसी स्थिति में आवंटन खारिज नही किया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड / दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। आवंटी दिनेश पिता छगनलाल, चन्द्रिका पत्नि दिनेश ,रमेश पिता छागनलाल, ललिता पत्नि रमेश कलाल निवासी भीण्डा तहसील झौथरी जिला डूँगरपुर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.12.2010 को खसरा नम्बर 2684 में से 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात भूमि का नम्बर 3783 / 2684 दर्ज किया गया । वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार रेस्पोडेण्ट खसरा नम्बर 3783 / 2684 रकबा 0.0404 है0 आवंटी खातेदार दर्ज है। इस प्रकार आवंटी को आवंटन पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हुए है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर **स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो के पालना नहीं किया जाना एवं आवंटी द्वारा कपट के आधार पर या दुर्व्यपदेशन के आधार पर भूमि का आवंटन अकंन** किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता हो। आवंटी को आवंटन पश्चात वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद यह अपील प्रस्तुत की हैं।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को आवंटी द्वारा कपट के आधार पर या दुर्व्यपदेशन के आधार पर भूमि का आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन कपट के आधार पर या दुर्व्यपदेशन के आधार पर कराया जाना साबित होता हो।

पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष 2023 (सम्वत 2080) एवं खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष 2024 (सम्वत 2081) के अनुसार आवंटी द्वारा क्रमशः मक्का एवं तुर/अरहर की फसल काश्त की है। इससे साबित होता है कि आवंटित/वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेण्ट 1 लगायत 4 का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आदेश क्रमांक 2010/1461–63 दिनांक 31.12.2010 को मौजा भीण्डा के खसरा नम्बर 2684 रकबा 5 बिस्वा (नया न. 3783/2684)भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर